




अन्य उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
73/24	212 RTA	खतोली	इलाहाबाद
वादी		वाद शीर्षक	प्रतिवादी
हीरालाल		बनाम	रोजेन्द्र कौर (212/216)

वकील :-

आदेश पत्रक

वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
12 ¹¹ / ₂₄	<p>अभिभाषक प्राणी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 RTA विरुद्ध अप्राणी गणों के इस अपील में पेश किया गया रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्राणी गणों को जरिये समत तलक कर पत्रावली दिनांक 24/12/24 को पेश हो।</p>	
22 ¹² / ₂₄	<p>न्यायालय के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक... 12.12.24... को पेश हो।</p> <p align="center">  न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां) </p>	
7 ³ / ₂₂	<p>न्यायालय के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक... 9.3.22... को पेश हो।</p> <p align="center">  न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां) </p>	
9 ³ / ₂₂	<p>पत्रावली पेश हुई। कमील प्राणी उपस्थित। प्रतिवादी गणों के वाद तर्जिमा समत प्रस्त। प्रतिवादी रुक 1,2,3 की ओर से श्री दीपक वर्मा एडवो. का कम्प्लैट गंगा पेश हुआ जो शांति किं किया गया। वादें पत्रावली दिनांक 14/3/22 को पेश हो।</p>	<p>Undertaking 1/23 </p>

19/6/22

आज पीएमपीन अधिकारी को अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 21.6.22 को भेरा हो।

न्यायालय उपसुपंड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

7/6/22

पत्रावली भेजा हुई। नकुलार फरीकन उपस्थित। वकील प्रती द्वारा प्रकरण में NOT PRESS किया है प्रकरण में भागे कोई कार्य बाही नहीं जाइते है प्रकरण में कार्य बाही इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।

NOT PRESS
हो

के द्वारा बना के दिनांक 19/6/22 को भेजा
के द्वारा भेजा के दिनांक 19/6/22 को भेजा
के द्वारा भेजा के दिनांक 19/6/22 को भेजा

दिनांक 19/6/22 को भेजा
के द्वारा भेजा के दिनांक 19/6/22 को भेजा